

राजस्थान सरकार
श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स व ईएसआई विभाग

क्रमांक-प.17(6)श्रनि/2023

जयपुर, दिनांक-यथाहस्ताक्षर

आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Estt.B2(v)/1/WA/2026/3926 दिनांक 19.08.2026 के अनुसरण में जिला जज केडर के अधिकारी Shri Jagendra Kumar Agarwal (RJ00317), Judge, MACT, Ajmer का अपने पद के साथ-साथ Judge, Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Ajmer के रिक्त पद पर अतिरिक्त पदस्थापन अग्रिम आदेशों तक एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

Note- 1. Officer shall dispose off minimum 40% additional work as per circular of standard of work.

2. The cases in which there are directions of higher Court for time bound disposal, shall be decided on priority basis.

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सोहन लाल मीना)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, अजमेर।
7. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0), श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23.09.2026 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
9. सम्बन्धित न्यायाधीश/न्यायालय।
10. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23.09.2026 में प्रकाशित करने का श्रम करावें।
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
16. निजी सचिव, सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
18. अति, निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
19. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव



Digitally signed by SOHAN
LAL MEENA
Designation: Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2026-09-23 13:28:36
IST

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

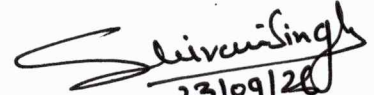
No. Estt.b2(v)1/WA/2026/4397

Date : 23.09.2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action: -

1. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
4. The Principal Secretary to the Govt, Law Deptt-Cum-Legal Remembrancer, Raj., Jaipur.
5. The Secretary to the Govt. of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.
6. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.
7. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
8. The Registrar General/ Registrar(Vig.)/(Admn.)/(Admn. Subordinate Court) /(Rules)/(Class.)/(Exam.)/OSD(F&I)/(Judicial), Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
9. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur.
10. The Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
11. The District & Sessions Judge, Ajmer with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Officer/Court/Treasury Officer in your Judgeship as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015.
12. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/
Confidential/ RJS Leave/
A.A.O.(Pension/Budget)


23/09/26
REGISTRAR (ADMN.)

राजस्थान सरकार
श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स व ईएसआई विभाग

क्रमांक-प.17(6)श्रनि / 2023

जयपुर, दिनांक:-यथाहस्ताक्षर

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक-प.17(6)श्रनि / 2023 दिनांक 23.09.2026 जारी कर जिला जज केडर के निम्न न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष अंकित न्यायालय में अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एवं धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कॉलम सं. 02 में उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके नाम के सामने कॉलम सं. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क.सं.	अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम
(01)	(02)	(03)
1	Shri Jagendra Kumar Agarwal (RJ00317), Judge, MACT, Ajmer	Judge, Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Ajmer

राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स व ईएसआई विभाग।
- 3 आयुक्त, श्रम विभाग, राज0 जयपुर।
- 4 न्यायाधीश, एमएसीटी, अजमेर, राज0।
- 5 न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अजमेर, राज0।
- 6 अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23.09.2026 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
- 7 अतिरिक्त श्रम आयुक्त,(मु0) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23.09.2026 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
- 8 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव



Digitally signed by SOHAN
LAL MEENA
Designation: Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2026-09-23 13:29:40
IST

v-1.0